[2019] 6 एस.सी.आर. 1120

एन. राममूर्ति

बनाम

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राज्य,

ए.सी.बी., बेंगलुरु

(आपराधिक अपील संख्या 751-752 2019)

अप्रैल 26, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और

दिनेश माहेश्वरी, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 389 - अपील लंबित रहने तक सजा का निलंबन - तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ता को धारा के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। 120-बी आरडब्ल्यू एसएस। 409, 420, 468, 471, 477-ए आईपीसी और धारा 13(2) आर/डब्ल्यू एसएस। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(सी) और (डी) - सजा के निष्पादन को निलंबित करने की मांग करने वाले आवेदन - उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिए गए कि कारावास की सभी सजाओं को मिलाकर 45 साल का कठोर कारावास होता है, सिद्ध किए गए सभी दोषों को एक साथ रखा जाए - अपील पर, माना गया: उच्च न्यायालय ऐसे आगे बढ़ा जैसे कि आरोपी अपीलकर्ता को पूरे 45 साल के कारावास से गुजरने का आदेश दिया गया हो - उच्च न्यायालय की ऐसी धारणा मौलिक रूप से गलत थी - उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ट्रायल कोर्ट ने विशेष रूप से आदेश दिया था कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी - इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने सजा के आदेश के संचालन को निलंबित करने के लिए प्रार्थना पर विचार करने वाले सिद्धांतों का उल्लेख किया था, हालांकि तत्काल मामले में प्रार्थना केवल इसके लिए की गई थी सजा के निष्पादन का निलंबन - चूंकि प्रार्थना पर विचार करना गलत दृष्टिकोण के कारण दूषित पाया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया जाता है; और एप्लिकेशन पुनर्स्थापित हो जाते हैं.

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए

माना गया: 1.1 मौलिक कारण के लिए आवेदनों को नए सिरे से विचार के लिए बहाल करना जरूरी है कि धारा 389 सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ता की ओर से किए गए आवेदनों से निपटने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत दृष्टिकोण से था और दो प्रमुख मुद्दों पर था। ग़लतफ़हमियाँ: एक, उच्च न्यायालय ने मान लिया कि विभिन्न अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दी गई सज़ाएँ लगातार चल रही हैं, यानी एक के बाद एक, और इस प्रकार दी गई सज़ाओं का कुल योग लेते समय, उच्च न्यायालय ने इस तरह आगे बढ़ाया जैसे कि अभियुक्त अपीलकर्ता को पूरे 45 वर्ष कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश दिया गया है। उच्च न्यायालय की ऐसी धारणा मौलिक रूप से गलत थी और उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ट्रायल कोर्ट ने विशेष रूप से आदेश दिया था कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। दूसरे, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश के कार्यान्वयन को निलंबित करने के लिए प्रार्थना पर विचार करने वाले सिद्धांतों का उल्लेख करना शुरू कर दिया है, हालांकि वर्तमान मामले में प्रार्थना केवल सजा के निष्पादन को निलंबित करने के लिए की गई थी। [पैरा 6]

1.2 जब उच्च न्यायालय ने यह मान लिया कि अपीलकर्ता को जेल में 45 साल की सजा काटनी है, तो सजा के निष्पादन को निलंबित करने की प्रार्थना पर उसके विचार ने पूरी तरह से अलग आयाम ले लिए। आवेदनों पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए था कि सजाएं एक साथ चलने के साथ, ट्रायल कोर्ट के आदेश द्वारा परिकल्पित कारावास की अधिकतम अवधि 7 वर्ष है। बेशक, ट्रायल कोर्ट के आदेश में डिफ़ॉल्ट शर्तें हैं लेकिन किसी भी मामले में, और गणना की किसी भी विधि से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता को 45 साल जेल में बिताने का आदेश दिया गया है। सजा के आक्षेपित आदेश के तहत कारावास की अवधि का स्पष्ट रूप से अपील या पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान सजा के निष्पादन को निलंबित करने की प्रार्थना पर विचार करने पर असर पड़ता है; और जब ऐसे अत्यधिक कारक के संबंध में मौलिक त्रुटि हुई हो, तो अपीलकर्ता की प्रार्थना पर इस त्रुटि को हटाने के बाद पुनर्विचार की आवश्यकता होती है। [पैरा 7]

1.3 आक्षेपित आदेश से यह पता चलता है कि उपरोक्त सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद भी, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से मूल बातें याद कर ली हैं और मामले में लागू कानूनी सिद्धांतों को लागू नहीं किया है। कारावास की मूल सजा के निष्पादन को निलंबित करने के

लिए अपीलकर्ता की ओर से आग्रह किए गए अन्य आधारों को विस्तृत नहीं किया गया है, अनिवार्य रूप से इस कारण से कि धारा 389 सीआरपीसी के तहत इस प्रार्थना की रिकॉर्ड के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा पर्याप्त रूप से जांच और विचार किया जाना है। आसपास के सभी कारक; और, वर्तमान मामले में, जब ऐसी प्रार्थना पर विचार करना गलत दृष्टिकोण के कारण दूषित पाया जाता है, तो उच्च न्यायालय को प्रार्थना पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता होती है। इस न्यायालय ने सजा के निष्पादन को निलंबित करने की मांग करने वाले अपीलकर्ता की ओर से दायर आवेदनों के गुण-दोष पर न तो कोई फैसला सुनाया है और न ही उच्च न्यायालय में लंबित अपील के गुण-दोष के संबंध में कोई टिप्पणी की है और पूरे मामले को विचार के लिए खुला छोड़ दिया है। उच्च न्यायालय कानून के अनुसार. [पैरा 8.1,9,10]

1.4 उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेशों को रद्द किया जाता है; और आवेदनों को शीघ्रता से नए सिरे से विचार के लिए बहाल किया जाता है। [पैरा 11]

नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब राज्य **(2007) 2 एससीसी 574: [2007] 1 एससीआर 1143 - अनुपयुक्त ठहराया गया।**

के.सी. सरीन बनाम सीबीआई, चंडीगढ़ (2001) **6 एससीसी 584:[2001] 1 पूरक। एससीआर 224 - संदर्भित।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[2007] 1 एससीआर 1143	**पैरा 8**	**को अनुपयुक्त माना गया**
[2001] 1 पूरक एससीआर 224	**पैरा 8**	**को संदर्भित करता है**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 751-752

बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 03.01.2019 और 29.01.2019 से क्रमशः 2018 के सीआरएल ए 2000 में आईए नंबर 1/2018 और 2018 के सीआरएल ए 2000 में आईए नंबर 1/2019 से।

सुनील फर्नांडीस, स्वरूप आनंद, सुश्री नूपुर कुमार, जीशान दीवान, सुश्री प्रियांश इंदिरा शर्मा, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए।

अमन लेखी, एएसजी, अनिरुद्ध सांगानेरिया, अंशुल गुप्ता, अरविंद क्र. शर्मा, सलाहकार. प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

दिनेश माहेश्वरी, जे. द्वारा

1. अनुमति दी गई.

2. इन अपीलों में, अपीलकर्ता-अभियुक्त ने आपराधिक अपील संख्या 2000 में 2018 के आईए नंबर 1 और 2019 के 1 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 03.01.2019 और 29.01.2019 के आदेशों पर सवाल उठाया है। 2018 में, उच्च न्यायालय ने अपील के लंबित रहने के दौरान सजा के निष्पादन को निलंबित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता ('सीआरपीसी') की धारा 389 के तहत उनकी प्रार्थना को खारिज कर दिया है।

3. वर्तमान उद्देश्य के लिए अब तक प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं को संक्षेप में इस प्रकार देखा जा सकता है:

3.1. यहां अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता ('आईपीसी') की धारा 409, 420, 468, 471, 477-ए के साथ पठित धारा 120-बी के तहत अपराधों के लिए 2002 के विशेष आपराधिक मामले संख्या 2 में आरोपी नंबर 2 के रूप में मुकदमा चलाया गया था।) और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ('पीसी अधिनियम') की धारा 13(1)(सी) और (डी) के साथ पठित।

3.2. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि वर्ष 1995-96 के दौरान, अपीलकर्ता और अभियुक्त नंबर 1, जो क्रमशः स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में क्लर्क और प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे, ने एक आपराधिक साजिश रची और विश्वास के उल्लंघन के कई कार्य किए। , धोखाधड़ी, जालसाजी, खातों में हेराफेरी और धन का दुरुपयोग। अन्य बातों के अलावा, यह आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने रुपये की सीमा तक फर्जी डेबिट जुटाए। बैंक में ग्राहकों द्वारा रखे गए विभिन्न खातों जैसे बचत बैंक खाता, चालू खाता, सावधि जमा, पुनर्निवेश जमा आदि में 23,53,090/- रुपये; और इस प्रकार डेबिट की गई राशि धोखाधड़ी से अपीलकर्ता के व्यक्तिगत खातों में जमा की गई थी और फर्जी निकासी द्वारा प्राप्त की गई थी। यह भी आरोप लगाया गया कि वर्ष 1996 के दौरान, दोनों आरोपी

व्यक्तियों ने धोखाधड़ी से आर. मधुसूदन के नाम पर मौजूद बचत बैंक खाता संख्या 1400 में एक काल्पनिक नाम के. प्रभाकर जोड़ दिया, हालांकि के. प्रभाकर के हस्ताक्षर के नमूने उपलब्ध नहीं थे। बैंक; उक्त बचत बैंक खाता संख्या 1400 में रुपये के फर्जी क्रेडिट पोस्ट किए गए थे। 9,46,399/-; और बाद में, अपीलकर्ता ने के. प्रभाकर के जाली हस्ताक्षर करके उक्त खाते से अलग-अलग तारीखों पर निकासी की। यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी नंबर 1 ने एन. राममूर्ति बनाम स्टेट बाय सी.बी.आई. मामले में विभिन्न चालू खातों में पर्याप्त मात्रा में कई अस्थायी ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी थी। ए.सी.बी., बेंगलुरु ए बी सी डी ई एफ जी एच 1124 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 6 एस.सी.आर. अपनी शक्तियों की अधिकता और नियंत्रक से इन तथ्यों को छिपाया; और ऐसे खाते धन के दुरुपयोग के बाद बंद कर दिए गए थे।

3.3. इन अपीलों में शामिल संक्षिप्त प्रश्न को देखते हुए, मामले के सभी तथ्यात्मक पहलुओं को यहां विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान उद्देश्य के लिए यह ध्यान देना पर्याप्त होगा कि मुकदमे के दौरान, अभियुक्त नंबर 1 की मृत्यु हो गई और मामला उसके कारण समाप्त हो गया। हालाँकि, 2002 के विशेष मामले संख्या 12 में उचित सुनवाई के बाद, एक्सएलवीआई के अतिरिक्त शहर सिविल और सत्र न्यायाधीश और सी.बी.आई. के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मामला दर्ज किया। मामले, इसके निर्णय दिनांक 22.10 द्वारा। 2018 में, उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया और कहा गया कि उसने कई ग्राहकों के जाली हस्ताक्षर किए थे, बेईमान इरादे से निकासी पर्चियां बनाई थीं, और उनके खातों से विभिन्न जमाकर्ताओं की राशि का दुरुपयोग किया था। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को निम्नानुसार सजा देने की कार्यवाही की:

> "***आईपीसी की धारा 120 बी*** *के तहत अपराध के लिए आरोपी नंबर 2 को* ***सात साल*** *की कठोर कारावास और* ***50,000/-*** *रुपये का जुर्माना देना होगा। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।*
>
> ***धारा 420 आईपीसी के तहत*** *अपराध के लिए आरोपी नंबर 2 को* ***सात साल*** *का कठोर कारावास और* ***50,000/-*** *रुपये का जुर्माना देना होगा। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।*

आईपीसी की धारा 409 के तहत *अपराध के लिए आरोपी नंबर 2 को* ***सात साल*** *का कठोर कारावास और* ***50,000/-*** *रुपये का जुर्माना देना होगा। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।*

धारा 468 आईपीसी के तहत *अपराध के लिए आरोपी नंबर 2 को* ***सात साल*** *का कठोर कारावास और* ***50,000/-*** *रुपये का जुर्माना देना होगा। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।*

आईपीसी की धारा 471 के तहत *अपराध के लिए आरोपी नंबर 2 को* ***तीन साल*** *का कठोर कारावास और* ***25,000/-*** *रुपये का जुर्माना देना होगा। जुर्माना राशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।*

आईपीसी की धारा 477ए के तहत *अपराध के लिए आरोपी नंबर 2 को* ***सात साल*** *का कठोर कारावास और* ***50,000/-*** *रुपये का जुर्माना देना होगा। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।*

धारा 13(2) आर/डब्ल्यू के तहत अपराध के लिए आरोपी नंबर 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के 13(1) (सी) और (डी) *में* ***सात साल*** *का कठोर कारावास और रुपये* ***50,000/-*** *का जुर्माना देना होगा। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।*

<u>सभी सजाएं एक साथ चलेंगी</u>.

आरोपी नंबर 2 धारा के तहत मुजरा पाने का हकदार है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 428, न्यायिक हिरासत में पहले से ही बिताई गई अवधि के लिए, यदि कोई हो।"

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया है)

3.4. उपरोक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की आपराधिक अपील संख्या 2000 के रूप में एक अपील दायर की। उक्त अपील को उच्च न्यायालय ने सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया है। अपीलकर्ता ने सजा के निष्पादन को निलंबित करने की मांग करते हुए एक आवेदन भी दिया (2018 का आईए नंबर 1) जिस पर उच्च न्यायालय ने

03.01.2019 को विचार किया और खारिज कर दिया, *अन्य बातों के साथ-साथ*, कि *"सभी कारावास की सजा एक साथ आती है 45 वर्ष का कठोर कारावास (सभी सिद्ध दोषों को मिलाकर)"।* अपीलकर्ता की ओर से आग्रह की गई दलीलों को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि सबूत अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करते हैं; जब अन्य साक्ष्य और सामग्री रिकॉर्ड पर उपलब्ध थी तो हाथ से लिखने वाले विशेषज्ञ की जांच न करना निलंबन की मांग करने का ठोस आधार नहीं था; कथित अपराध की प्रकृति को देखते हुए, अपीलकर्ता का पदनाम, चाहे क्लर्क के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, महत्वहीन था; कि जब अपीलकर्ता 66 वर्ष का था, तो उम्र संबंधी कई बीमारियाँ स्वाभाविक थीं, लेकिन यह कहना गलत था कि सजा काटते समय वह उचित चिकित्सा देखभाल से वंचित था। उच्च न्यायालय ने ***नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब राज्य:*** **(2007) 2 एससीसी 574** के मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया और कहा कि अपीलीय अदालत दोषसिद्धि के आदेश को तभी निलंबित कर सकती है जब दोषी विशेष रूप से परिणाम दिखाता है। यदि आदेश निलंबित या रोका नहीं गया है तो इसका पालन किया जा सकता है; और वर्तमान मामला सजा के निलंबन और अभियुक्त को जमानत पर बढ़ाने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था।

3.4.1. दिनांक 03.01.2019 के अपने आदेश में उच्च न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियों को निम्नानुसार देखा जा सकता है: -

> "1. *आरोपी नंबर 2 - एन. राममूर्ति ने विशेष आपराधिक मामले संख्या में विद्वान एक्सएलवीआई अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश और सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, बेंगलुरु द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 22.10.2018 को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है। 12/2002, जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता/अभियुक्त संख्या 2 को आईपीसी की धारा 120-बी आर/डब्ल्यू धारा 420, 409, 468, 471, 477-ए और धारा 13(2) आर के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। / भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(सी) और (डी) के अनुसार सजा सुनाई गई। विशेष न्यायालय ने प्रत्येक अपराध में अलग-अलग कारावास और जुर्माने की सजा का आदेश दिया है जिसके लिए अपीलकर्ता/अभियुक्त संख्या 2 को दोषी पाया गया था। <u>कारावास की सभी</u>*

सजा को मिलाकर 45 वर्ष का कठोर कारावास (सभी सिद्ध अपराध के लिए) हो जाता है।

**** ****

****

14. अभियुक्त के कथित स्वैच्छिक कार्य और विभिन्न अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त कथित अपराधों का दोषी है। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी को अपराधों का दोषी पाया गया है, विशेष रूप से, आईपीसी की धारा 420, 409, 468, 471 और 477 ए के तहत दंडनीय और धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू धारा 13 के तहत भी दंडनीय है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के 1)(सी) और (डी), मुझे नहीं लगता कि हस्तलेखन विशेषज्ञ की गैर-परीक्षा अपीलकर्ता की सजा को निलंबित करने की मांग के लिए एक ठोस आधार होगी।

15. अपीलकर्ता के विद्वान वकील के तर्क का दूसरा चरण यह है कि अभियुक्त केवल एक क्लर्क है, उसे समय से पहले जमा राशि बंद करने और खाता बंद करने की कोई शक्ति नहीं थी। इस पर सरसरी नजर डालने से पता चलता है कि आरोपी ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि क्लर्क के रूप में उसने कई खाते बंद किए हैं। इसके विपरीत, उनके खिलाफ आरोप लगाया गया अपराध ग्राहकों के जाली हस्ताक्षर करना और बैंक को उनके खाते में जमा राशि जमा करने के लिए मजबूर करना है। इस प्रकार, आरोपी का पदनाम चाहे क्लर्क के रूप में हो या किसी अन्य क्षमता में अपना काम कर रहा हो, इस संदर्भ में महत्वहीन हो जाएगा। ऐसे में, उस आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क भी स्वीकार्य नहीं है। 16. अंत में, अपीलकर्ता का यह भी तर्क है कि आरोपी नंबर 2/अपीलकर्ता कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों और रक्तस्रावी रोगों से पीड़ित है और लगातार दवा ले रहा है। माना जाता है कि अपीलकर्ता/अभियुक्त नंबर 2 की उम्र 66 साल बताई जा रही है, ऐसे में कई लोगों में उम्र संबंधी कई बीमारियां होना स्वाभाविक है। यह कहना ग़लत है कि चूँकि कोई व्यक्ति सज़ा काट रहा है, इसलिए वह उचित चिकित्सा

देखभाल से वंचित है। ऐसे में प्रचारित स्वास्थ्य संबंधी आधार भी स्वीकार्य नहीं है।

16. अंत में, अपीलकर्ता का यह भी तर्क है कि आरोपी नंबर 2/अपीलकर्ता कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों और रक्तस्रावी रोगों से पीड़ित है और लगातार दवा ले रहा है।

माना जाता है कि अपीलकर्ता/अभियुक्त नंबर 2 की उम्र 66 साल बताई जा रही है, ऐसे में कई लोगों में उम्र संबंधी कई बीमारियां होना स्वाभाविक है। यह कहना ग़लत है कि चूँकि कोई व्यक्ति सज़ा काट रहा है, इसलिए वह उचित चिकित्सा देखभाल से वंचित है। ऐसे में प्रचारित स्वास्थ्य संबंधी आधार भी स्वीकार्य नहीं है।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 389 (1) के संबंध में (2007) 2 एससीसी 574 में रिपोर्ट किए गए नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में अपील किए गए आदेश के निलंबन से प्रसन्न था। यह देखने के लिए कि, अपीलीय अदालत दोषसिद्धि के आदेश को केवल तभी निलंबित कर सकती है जब दोषी विशेष रूप से उन परिणामों को दिखाता है जो उसके बाद हो सकते हैं, यदि आदेश निलंबित या रोका नहीं गया है। इसके अलावा, मामले के विशेष तथ्यों के आधार पर दुर्लभ मामलों में दोषसिद्धि पर रोक लगाने का सहारा लिया जा सकता है।

18. मौजूदा मामले में, ऊपर दिए गए कारणों से, मुझे नहीं लगता कि यह एक ऐसा मामला है, जो सजा को निलंबित करने और आरोपी को जमानत पर बढ़ाने के लायक है।

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया है)

3.5. इसके बाद, 2019 के आईए नंबर 1 होने के नाते अपीलकर्ता की ओर से उसकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर सजा के निष्पादन को निलंबित करने की मांग करने वाला दूसरा आवेदन दायर किया गया था। हालाँकि इस आवेदन को भी उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.01.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था, जबकि अनिवार्य रूप से पिछले आदेश दिनांक 03.01.2019 में ऐसी प्रार्थना को

अस्वीकार करने के लिए बताए गए कारणों पर भरोसा किया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता का इलाज करने वाले डॉक्टर के निर्देश का पालन किया जाए। 29.01.2019 के अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने फिर से यह पाया कि अपीलकर्ता को निम्नलिखित 3 में 45 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी: -

"2. अपीलकर्ता/आवेदक भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के साथ पठित धारा 420, 409, 468, 471, 477ए और धारा 13(1)(के साथ पठित धारा 13(2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उक्त मामले में दोषी व्यक्ति है। सी) और (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, (इसके बाद संक्षिप्त रूप से 'पी.सी.एक्ट' के रूप में संदर्भित)। विशेष न्यायालय द्वारा तदनुसार उन्हें सजा सुनाई गई। विशेष अदालत ने प्रत्येक अपराध के लिए कारावास और जुर्माने की अलग-अलग सजा का आदेश दिया है, जिसके लिए अपीलकर्ता को दोषी पाया गया था। सभी कारावास की सज़ा को मिलाकर 45 वर्ष का कठोर कारावास (सभी प्रमाणित अपराध के लिए) बनता है।"

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया है)

4. उपरोक्त आदेशों की आलोचना करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने मामले को पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण से देखा है, जबकि यह देखते हुए कि अपीलकर्ता को 45 साल की कैद की सजा दी गई है, हालांकि सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया गया था। ट्रायल कोर्ट और इसलिए, कारावास की अधिकतम अवधि कुछ डिफ़ॉल्ट शर्तों के अलावा 7 साल है, जो जुर्माना अदा न करने पर ही लागू होगी। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू (सुप्रा) के फैसले का संदर्भ भी गलत था क्योंकि अपीलकर्ता ने केवल सजा को निलंबित करने की प्रार्थना की थी, न कि अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की। विद्वान वकील के अनुसार, सजा के निलंबन की प्रार्थना पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और जब तक असाधारण परिस्थितियाँ न हों, निलंबन से इनकार नहीं किया जाना चाहिए; और वर्तमान मामले में ऐसे कोई असाधारण कारण या परिस्थितियाँ नहीं हैं, निलंबन की प्रार्थना स्वीकार की जानी चाहिए। इसके विपरीत, ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज किए गए

निष्कर्षों के संदर्भ में प्रतिवादी की ओर से लगाए गए आदेशों का विधिवत समर्थन किया जाता है।

5. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, हम इन अपीलों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं और आक्षेपित आदेशों को रद्द करते हुए, सीआरपीसी की धारा 389 के तहत सजा के निष्पादन को निलंबित करने की मांग करने वाले आवेदनों को उच्च अदालत द्वारा नए सिरे से विचार करने के लिए बहाल करते हैं।

6. हम इस बुनियादी कारण से आवेदनों को नए सिरे से विचार के लिए बहाल करना जरूरी समझते हैं कि धारा 389 सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ता की ओर से किए गए आवेदनों से निपटने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत दृष्टिकोण से था और दो प्रमुख मुद्दों पर था। ग़लतफ़हमियाँ: एक, उच्च न्यायालय ने मान लिया कि विभिन्न अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दी गई सज़ाएँ लगातार चल रही हैं, यानी एक के बाद एक, और इस प्रकार दी गई सज़ाओं का कुल योग लेते समय, उच्च न्यायालय ने इस तरह आगे बढ़ाया जैसे कि अभियुक्त अपीलकर्ता को पूरे 45 वर्ष कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश दिया गया है। यह कहने के लिए बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय की ऐसी धारणा मौलिक रूप से गलत थी और उच्च न्यायालय ने, जाहिर है, इस बात पर ध्यान देना छोड़ दिया कि ट्रायल कोर्ट ने विशेष रूप से आदेश दिया था कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। दूसरे, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश के कार्यान्वयन को निलंबित करने के लिए प्रार्थना पर विचार करने वाले सिद्धांतों का उल्लेख करना शुरू कर दिया है, हालांकि वर्तमान मामले में प्रार्थना केवल सजा के निष्पादन को निलंबित करने के लिए की गई थी।

7. यह तलाश करना ज्यादा दूर नहीं है कि जब उच्च न्यायालय ने मान लिया कि अपीलकर्ता को 45 साल जेल में गुजारना है, तो सजा के निष्पादन को निलंबित करने की प्रार्थना पर उसके विचार ने पूरी तरह से अलग आयाम ले लिए। आवेदनों पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए था कि सजाएं एक साथ चलने के साथ, ट्रायल कोर्ट के आदेश द्वारा परिकल्पित कारावास की अधिकतम अवधि 7 वर्ष है। बेशक, ट्रायल कोर्ट के आदेश में डिफ़ॉल्ट शर्तें हैं लेकिन किसी भी

मामले में, और गणना की किसी भी विधि से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता को 45 साल जेल में बिताने का आदेश दिया गया है। सजा के आक्षेपित आदेश के तहत कारावास की अवधि का स्पष्ट रूप से अपील या पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान सजा के निष्पादन को निलंबित करने की प्रार्थना पर विचार करने पर असर पड़ता है; और जब ऐसे अत्यधिक कारक के संबंध में मौलिक त्रुटि हुई हो, तो अपीलकर्ता की प्रार्थना पर इस त्रुटि को हटाने के बाद पुनर्विचार की आवश्यकता होती है।

8. दोनों आदेशों में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा कारावास की अवधि के बारे में उपरोक्त त्रुटि के अलावा, ऑपरेशन के निलंबन के लिए प्रार्थना से संबंधित सिद्धांतों के संदर्भ में पूरी तरह से अप्रासंगिक विचार पर भी आगे बढ़ाया है। दोषसिद्धि के आदेश के अनुसार ऐसा निलंबन केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में और विशेष कारण से ही दिया जा सकता है। सम्मान के साथ, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि अपीलकर्ता की ओर से प्रार्थना केवल सजा के निष्पादन को निलंबित करने के लिए की गई थी, न कि सजा के आदेश के संचालन पर रोक लगाने या निलंबित करने के लिए। इसलिए, नवजोत सिंह सिद्धू (सुप्रा) में निर्णय का संदर्भ स्पष्ट रूप से तथ्यों और वर्तमान मामले की परिस्थितियों में अनुपयुक्त था। वास्तव में**, के.सी. सरीन बनाम सीबीआई, चंडीगढ़: (2001) 6 एससीसी 584** में उद्धृत अन्य निर्णय में।, इस न्यायालय ने संकेत दिया है कि आमतौर पर, वरिष्ठ न्यायालय को पीसी अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित मामलों में कारावास की सजा को निलंबित कर देना चाहिए, जब तक कि अपील पर जल्द ही सुनवाई न हो जाए। दाखिल करना. इस न्यायालय ने एक ओर दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित करने के प्रस्ताव और दूसरी ओर सजा के निलंबन के प्रस्ताव में सूक्ष्म अंतर की ओर इशारा किया। इस न्यायालय ने इसे निम्नानुसार समझाया और निर्धारित किया:

> *"11। इसलिए, कानूनी स्थिति यह है: हालांकि सजा के आदेश के अलावा दोषसिद्धि के आदेश को निलंबित करने की शक्ति, संहिता की धारा 389(1) से अलग नहीं है, इसका प्रयोग बहुत ही असाधारण मामलों तक ही सीमित होना चाहिए। केवल इसलिए कि दोषी व्यक्ति दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए अपील दायर करता है, अदालत को दोषसिद्धि के आदेश के क्रियान्वयन*

को निलंबित नहीं करना चाहिए। अदालत का कर्तव्य है कि वह ऐसी सजा को स्थगित रखने के परिणामों सहित सभी पहलुओं पर गौर करे। उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में हमें इस प्रश्न की जांच करनी होगी कि जब किसी लोक सेवक को पीसी अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब अपीलीय अदालत पीसी अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने के लिए दायर अपील को स्वीकार करती है, तो उच्च न्यायालय को आम तौर पर अपील के निपटान तक कारावास की सजा को निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे इनकार करने पर अपील ही निरर्थक हो जाएगी। जब तक कि ऐसी अपील पर अपील दायर करने के तुरंत बाद सुनवाई न की जा सके। लेकिन पीसी अधिनियम के तहत अपराध की दोषसिद्धि को निलंबित करना, उसकी अगली कड़ी के रूप में कारावास की सजा को कम करना, एक अलग मामला है।

8.1. दिनांक 29.01.2019 के आक्षेपित आदेश से हमें जो पता चलता है वह यह है कि, उपरोक्त सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद भी, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधार को याद किया है और मामले में लागू कानूनी सिद्धांतों को लागू नहीं किया है।

9. हम कारावास की मूल सजा के निष्पादन को निलंबित करने के लिए अपीलकर्ता की ओर से आग्रह किए गए अन्य आधारों पर विस्तार से नहीं बता रहे हैं, मूलतः इस कारण से कि धारा 389 सीआरपीसी के तहत इस प्रार्थना की पर्याप्त रूप से जांच की जानी है और संदर्भ के साथ उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है। रिकॉर्ड और आसपास के सभी कारकों के लिए; और, वर्तमान मामले में, जब ऐसी प्रार्थना पर विचार करना गलत दृष्टिकोण के कारण दूषित पाया जाता है, तो हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को प्रार्थना पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।

10. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमने सजा के निष्पादन को निलंबित करने की मांग करने वाले अपीलकर्ता की ओर से दायर किए गए आवेदनों के गुणों पर न तो कोई फैसला सुनाया है और न ही उच्च न्यायालय में लंबित अपील और पूरे मामले के गुणों के संबंध में कोई टिप्पणी की है। कानून के अनुसार उच्च न्यायालय के विचारार्थ खुला रखा गया है।

11. तदनुसार और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों को उस सीमा तक और उस तरीके से अनुमति दी जाती है, जिस तरह 2018 के आईए नंबर 1 और आईए नंबर 1 के निपटान में क्रमशः दिनांक 03.01.2019 और 29.01.2019 को पारित आदेश दिए गए थे। 2019 में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 2018 की आपराधिक अपील संख्या 2000 को खारिज कर दिया गया; और 2018 के उक्त आईए नंबर 1 और 2019 के 1 को नए सिरे से विचार के लिए बहाल किया जाता है। मामला अपील के लंबित रहने के दौरान सजा के निष्पादन को निलंबित करने की प्रार्थना से संबंधित होने के कारण, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि वह उक्त आवेदनों को शीघ्रता से उठाए और निपटाए, अधिमानतः आज से दो सप्ताह के भीतर।

निधि जैन अपीलें निस्तारित।

आशीष तिवारी की देखरेख में मानसी मिश्रा द्वारा अनुवादित।